कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, (बुडको), पटना।
अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना–

निविदा संख्या :–बुडको / कंकडबाग / यो0–56 / 21– 10 दिनांक :– 25/04/22

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना (ई–टेंडरिंग द्वारा www.eproc.bihar.gov.in)

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, कंकडबाग अंचल क्षेत्र, बुडको, पटना।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक–22.04.2022
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक–04.05.2022से 12.05.2022 को 17:00 बजे तक (On website www.eproc.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान / तिथि : दिनांक–11.05.2022को 12.00बजे बुडको कार्यालय कक्ष।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि / समय : दिनांक–13.05.2022के 15:00 बजे तक (On websitewww.eproc.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि / समय : दिनांक–17.05.2022के 16:00 बजे के बाद (On websitewww.eproc.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि / समय : बाद में सूचित किया जायेगा। (On websitewww.eproc.bihar.gov.in)
8. अग्रधन, सभी मूल शपथ पत्र,Existing Commitment (मूल में) परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि / समय एवं स्थान : दिनांक–14.05.2022के 15:00 बजे तक स्थान– मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, कंकडबाग अंचल क्षेत्र, बुडको वेस्ट बोरिंग 2नोल रोड, राजापुल, पटना–800001, बिहार, पटना का कार्यालय।

9.कार्य का विवरणः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 मे)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 मे)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
	राज्य योजनान्तर्गत।					
1.	Laying of 1000mm dia D.I pipe for additional arrangement of outflow after enhancement of capacity of motor-pump at Ashok Nagar D.P.S under Buidco, Kankarbag Anchal, Patna.	78,91,293.00	1,58,000.00	15,000.00	As per Beltron	02 माह

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in देखा जा सकता हैं।

10. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन ।
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगाः–

I. "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/debit Card), Net Banking. NEFT/RTGS.

II. (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व बुडको में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in देखा जा सकता हैं।

14. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हे उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हे (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिएयोग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं0–25, श्री कृष्णा नगर, पटना–800020, दूरभा ा संख्या–0612– 2523006, मो0 संख्या–7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

15. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेन संतुट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

16. **(1)** राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान मे किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नही होगें। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते है तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्त्तो को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदिः–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करनें वाले तथ्य समर्पित किये गये है।

(ख) किसी संवेदक का कार्य नि पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्त्तो के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नही किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

17. **परिमाण विपत्र का मूल्य**

उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो **प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना** विकास **निगम लिमिटेड (बुडको), पटना** के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक पटना में भुगतेय हो, स्वीकार किया जायेगा, जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा करने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए।

(1) अग्रधन

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो **कार्यपाक अभियता, कंकडबाग अंचल क्षेत्र,बुडको, पटना** के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में) एवं निविदा आमंत्रण तिथि के बाद प्रतिज्ञिप्त को जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में निम्न प्रकार के मौद्रिक साधन (Monetary Instrument) अनुमान्य होंगे:–

i. किसी भी अनुसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा रसीद (सावधि जमा रसीद की वैद्यता अवधि निविदा प्राप्त की तिथि से छः महीने अधिक तक की अवधि के लिए वैद्य होनी चाहिय तथा निविदा निकालने वाले पदाधिकारी को प्रतिज्ञिप्त होना चाहिये)।

ii. किसान विकास पत्र।

iii. किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो संबंधित पदाधिकारी के पक्ष में उस जिले में भुगतेय हो।

iv. डाकघर का बचत खाता।

v. 1/2/3 वर्षीय डाकघर की सावधि जमा।

vi. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जो बिहार राज्य के अन्तर्गत निर्गत हो।

vii. पाँच वर्षीय डेवलपमेंट बॉण्ड।

viii. स्टेट डेवलपमेंट लोन सर्टिफिकेट।

ix. एक करोड़ से अधिक राशि के कार्य हेतु अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक का, बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित
माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले मे डीड एंव अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ)G.S.T निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागो के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यो की
राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

'मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बडे अक्षरों में नाम)..

सुपुत्र/सुपुत्री
/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वाराDebar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के
अंदर किसी कार्य को विखंडित (Resceind) नहीं किया गया हैं।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक
अभियता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ)निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(च) वैध चरित्र प्रमाण पत्र।

(ड़) संवेदक के पास **(i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईब्रेटर, (iii) टरिंग प्लेट, (iv) वाटर टेंकर, (v) गुण–नियंत्रण उपकरण तथा सड़क एवं नाला निर्माण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (v) के साथ–साथ एलीमेटर एवं स्एजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है,** जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने कि स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल पथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में

4

उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र–संयंत्र की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

(च) बिटुमिनस पथ के कार्यो में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग/बुडको से किसी प्रकार का अग्रीम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटो के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM. SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant/ Vibratory Roller/Static Roller/Paver Finisher/ Fe loader/Tipper/ आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परंतु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ–पत्र कंडिका (ड़) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कंडिका–'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' मे गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए बुडको स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली–2007 के तहत काली सूची दिवार (Debar) ताथ निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी की जाएगी। यदि यह शर्त्ते संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डाले।

(छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा 5 नेाल तक अनियोजित है से संबंधित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की राशि 9 प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(5) <u>प्रतिशत दर निविदा</u>

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों मे विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।

(ख) पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) कि अधिसूचना संख्या –449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender), पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदत दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए (Additional Performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है।

(ग)निविदा दर असाधरण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने की स्थिति में प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–प्र०–6/द०वि० नियम–03–08/06 (अंश)–449 (S) पटना, दिनांक–16.01.2020 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

18. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।
19. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यो को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. संवेदक के विपत्र से 1 (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एव नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक मे रॅायल्टी एव अन्य करो की कटौति विपत्र से की जायेगी।

21. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019क आलोक में फार्म 'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस Seigniorage Fee की कटौति प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्त्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से काटी जाएगी।

22. **निविदा निष्पादन**

1. यदि निविदा की कंडिका संख्या–17 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
2. सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर सामान्य होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दरवार्ता) किया जायेगा ए6नोलयमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23. **एकरारनामा**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 07 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग/बुडको के प्रपत्र F2 (कंडिका–23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

अन्य शर्तें

उपरोक्तशर्तो के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्त्तो का अनुपालन करना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी :–

24. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड मे सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होगें उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।
25. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षो में (निविदा तिथि के पूर्ववत्त माह तक) किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समतुल्य का भुगतान प्रमाण–पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Paymentहोगा।
26. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु सीलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र–संयत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा।
27. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम–से–कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्तसम्बंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ–पत्र मूल में नियोजित नियोजनकर्त्ता दोनो पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ–पत्र देगें तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

28. (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य रलि के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है, फलस्वरूप परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है।

29. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य मे त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

30. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

31. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओ को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में **कार्यपालक अभियंता, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), कंकडबाग अंचल क्षेत्र, पटना के कार्यालय** से संपर्क कर सकते हैं।

32. Materials to be used such as DI pipe class K-9 and specials should be ISI marked and confirming to IS:8329 Each consignment of pipe shall be inspected and tested and embossed by any agencies/authority of DGS & D/ SGS who shall be given sufficient prior information by authorised inspectors.

33. The contractor after maintain permission from Executive Engineer will buy the materials in BUIDCo/UDHD premises for physical verification by the departmental Officers. The contractor will use the material only after such verification found satisfactory. The sample physically verified must be kept in safe custody for further inspection by higher authority of the department. The materials should be used in last stage of the completion of the work. No extra cost for stacking, carriage or storage will be paid to contractor. The contractor shall be responsible for the safe keeping of the materials store.

34. In case of any doubt about the quality of any or all the materials in part or full, The Executive Engineer reserves the right to get such materials tested separately in some recognized laboratory at the cost of contractor. For this purpose, sample will be taken by the Engineer-in-charge in presence of the contractor or his authorised representatives and shall be signed jointly. Till the time the test results are obtained such materials shall be kept separately in the store & not to be used in work. In case the test report is found unsatisfactory, the contractor shall have to remove the replace such material at his own risk and cost and shall be responsible for the delay in work on this account for which no extenton of time will be allowed. The materials related in work must be used after 100%. 3rd party inspection at manufacturer end by inspecting agency above and must ensure that the same materials be transported to the departmental store for consignee end inspection.

The materials brought to the site in each time must be checked 100% at consignee end. Details of supplied materials along with copy of third party inspection report, Chalan and test check report of consignee end. The Higher Authority may make random inspection of the materials.

It will be the responsibility of the agency to carry out construction work with the same materials that has been inspected at manufacturer end and consignee end.

35. **Accommodation:**-The contractors will have to provide at their own cost proper huts & drinking water, toilet and other admissible facilities admissible to labour force employed by the contractor as per labour acts/laws.

36. **Address:**-The tenderers shall have to furnish his furnish permanent and local address with contact no. and email ID in the tender paper. The contractor is required to sign each page of the tender documents before submission of tender failing which is tender is liable to be rejected.

37. **Insurance:**-The contractor will have to ensure the labours to be employed for the execution of the work at his own cost if any accident occurs at the site of work during the execution of work the contractor will have to pay compensation for the damage as admissible under relevant act/law.

38. **Extra work:-** The contractor shall not carry out any extra work without written order of the competent authority. The contractor will have to maintain a site order book duly page marked and signed by the E/I. in which necessary instruction regarding execution of work will be given to the contractor by E/I. or his authorised representative or any inspecting officier of the department. The site order book will be a property of the department and it has to be kept by the contractor or his authorised representative with proper care and responsibility to keep it safe at the site. It will be returned back to the department through the concerned J.E. and proper channel after the completion of the work as per the agreement.

39. **Wages:-** The contractor will have to ensure for the payment to the labours engaged in the execution of the work and it should be strictly in confirmation to the minimum wages act approved by the govt.

40. **Site Clearance:-** The contractor will keep the site neat and clean even during the execution of the work. After the completion of work the contractor will remove all debris etc. and hand over neat and clean site to the department.

41. **Misconduct:-** If any of the contractors agent, sub agent, consultant or employee is found guilty of misconduct or incompetent for the contact by the E/I. such person shall have to be removed from site of work.

42. **Inspection and Testing:-** The contractor will have to provide all facilities, instrument, materials and labours for testing/inspecting/measuring the work and shall afford the site engineer all assistance necessary to conduct the test/inspection for which no extra payment will be made.

43. In the unlikely event of the server for www.eproc.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
44. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
45. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
46. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
47. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD/BUIDCo. may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
48. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
49. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
50. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.

अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्यों हेतु–
(a) पथ निर्माण विभाग के प्र0–6 / नियम–03–03 / 2001–1399(s) दिनांक–31.01.2008 द्वारा सभी र्त्तों का अनुपालन करना होगा।
(b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
(c)शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री / डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

21/04/22
A.E.

21.4.22
कार्यपालक अभियंता
कंकड़बाग अंचल क्षेत्र,
हुडको, पटना।